न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2019 निगरानी ग्राम पंचायत

1. सेडूराम पुत्र जगदेव जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

निगरानीकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय जरिये सरपंच।
2. सचिव ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध नोटिस ग्राम पंचायत सिकन्दरा क्रमांक 13, 14 दिनांक 04.05.2019

उपस्थिति : श्री बी. एम. गौड, अधिवक्ता गैरनिगरानीकार उपस्थित।
: श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 30.09.2019

संक्षिप्त में गैर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत सिकन्दरा में एक भूखण्ड जिसकी पैमायश पूर्व पश्चिम 17 फिट एवं उत्तर दक्षिण 88 फिट है। जिसका कुल क्षेत्रफल 166 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्थ सीमा उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता एवं मूल्या जोगी का पुख्ता डण्डा है। पूर्व में बान्दीकुई रोड, पश्चिम में रास्ता एवं पून्या धोबी का मकान है। उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत सिकन्दरा दिनांक 23.01.1996 को प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है। निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत सिकन्दरा अवैधानिक तरीके से उक्त पट्टाशुदा भूमि को रास्ते की भूमि बताकर प्रार्थी के बेदखल करने एवं निर्माण को नष्ट करने पर आमादा है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सिकन्दरा द्वारा प्रार्थी को नोटिस क्रमांक 13 व 14 दिनांक 4.5.2019 दिया। जिसका जवाब भी प्रार्थी को दिया जा चुका है। उक्त नोटिस की आड में ग्राम पंचायत सिकन्दरा अवैध कार्यवाही करने को आमादा है। ग्राम पंचायत सिकन्दरा द्वारा प्रार्थी को दिये गये नोटिस क्रमांक 13 व 14 दिनांक 04.05.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलवी गैर निगरानीकारान की गई। अधिवक्ता निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलेक्टर
दौसा

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पक्ष में 166 वर्ग गज के उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत सिकन्दरा द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 23.01.1996 को प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। बाउण्ड्री बना रखी है व तीन फिट का भरत करवाकर पाटोल बना रखी है। जिसमे रिहायश करता है। प्रार्थी उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड पर 1996 से लगातार काबिज रहकर उपयोग कर रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत सिकन्दरा प्रार्थी से चुनावी राजनैतिक द्वेषता रखता है तथा उक्त पट्टाशुदा भूमि को रास्ते की भूमि बताकर प्रार्थी के बेदखल करने एवं निर्माण को नष्ट करने पर आमादा है। जिस बाबत् ग्राम पंचायत सिकन्दरा द्वारा दिनांक 4.5.2019 को नोटिस क्रमांक 13 व 14 दिया जो कि अवैध है एवं जिसका जवाब भी प्रार्थी द्वारा दिया जा चुका है। इसलिये निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नोटिस क्रमांक 13 व 14 दिनांक 4.5.2019 ग्राम पंचायत सिकन्दरा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकारान द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को प्रेषित सूचना पत्र में अंकित भूमि सार्वजनिक मार्ग की भूमि है जिसमे होकर वर्तमान में गंदे पानी का बहाव (नाला) है। ग्राम पंचायत उक्त मार्ग पर सी.सी. रोड का निर्माण करवा रही है। निर्माण कार्य चालू है। प्रार्थी ने निर्माण बाधित किया है। भूमि प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि नहीं है। सार्वजनिक मांग की भूमि पर पट्टा प्रचलित नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई निर्माण विद्यमान नहीं है। प्रार्थी ने उक्त भूमि 80 फिट लम्बी एवं 22 फिट चौडी छोटेलाल धोबी व गेंदी पत्नि शंकरलाल धोबी से जरिये इकरारनामा 22700 रूपये में क्रय करना अंकित कर उक्त अपंजीकृत एवं अपर्याप्त मुद्रांक इकरारनामा के आधार पर पट्टा ग्राम पंचायत सिकन्दरा से दिनांक 28.01.96 को प्राप्त करना अंकित किया है। कथित भूमि की माप 80 फिट लम्बाई एवं 22 फिट चौडाई से ही स्पष्ट है कि भूमि आवासीय नही हो सकती है, बल्कि आम रास्ते की भूमि है। अपंजीकृत एवं अपर्याप्त मुद्रांकित इकरारनामा के आधार पर किसी व्यक्ति को सौ रूपये या इससे अधिक मूल्य की भूमि पर कोई अधिकार स्वामित्व या आधिपत्य प्राप्त नहीं हो सकते है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 28.12.95 सरपंच या उप सरपंच की अध्यक्षता में नहीं हुई है। उक्त बैठक ग्राम पंचायत के पंच की अध्यक्षता में हुई है। जिसे पट्टा जारी करने के प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे की अपील पंचायत समिति में कर दी है, जो विचाराधीन है। पट्टे मे भूमि की माप अंकित नहीं है। कथित पट्टा 23 वर्ष पूर्व का होना पट्टे की चित्र प्रति से प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा इस अवधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। यह भूमि मौहल्ला खटीकान को सिकन्दरा बांदीकुई मुख्य मार्ग से जोडती है, जिसका उपयोग आम रास्ते के लिये निरन्तर निर्बाध रूप से होता आ रहा है। जिला परिषद की स्वीकृति अनुसार सार्वजनिक हित में ग्राम पंचायत द्वारा आम रास्ते पर सी.सी. रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रार्थी अनाधिकृत रूप से उक्त निर्माण को बाधित कर रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है एवं वर्तमान में गन्दा पानी का बहाव(नाला) है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का कानूनन पट्टा नही दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार को विवादग्रस्त भूमि के संबंध में नोटिस दिया गया है न की कोई आदेश पारित किया है। नोटिस के विरूद्ध निगरानी किये जाने का कोई औचित्य नही है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पंचायत समिति सिकराय में अपील विचाराधीन होना अधिवक्ता उभयपक्ष ने स्वीकार किया है। जब विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पंचायत समिति में अपील विचाराधीन है तो इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुगार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर,

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official